<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–158/2024</u>

नवीन कुमार सिंह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रीमा कुमार अग्रवाल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.02.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.11.2024 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादीगण ने वादग्रस्त भूमि मद सं0–01 पर स्वत्व, अधिकार की घोषणा एवं दखल कब्जा हेतु लाया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वर्तमान वस्तुस्थिति की जानकारी न्यायालय के समक्ष लाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि न्यायालय परिसर से 02 किलोमीटर की दुर पर है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त के मद में होने वाले शुल्क को वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण का आवेदन स्वीकार करते हुये स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वादग्रस्त भूमि के प्रतिवेदन की मांग आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर करने कृपा करें। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगें। प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 21.12.2024 को दाखिल किया गया तथा किसी भी मामले में जिसमें न्यायालय किसी मामले को स्पष्ट करने के लिए या किसी संपति के बाजार मूल्य का पता लगाने के उद्देश्य से स्थानीय जाँच को आवश्यक या उचित समझती है, उस पर रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकती है। पारा 05 में वादीगण ने दावा किया है कि वादग्रस्त भूमि पर ईंट और एस्वेस्टस का घर है और प्रतिवादीगण ने भी अपने बयान तहरीरी सह प्रतिदावा में दावा किया है कि वादग्रस्त भूमि पर ईंट एवं एस्वेस्टस का घर है, इसलिए अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर जाँच करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–158/2024</u>

नवीन कुमार सिंह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रीमा कुमार अग्रवाल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 17.02.2025	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रारंभिक अवस्था में है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का कार्य वादग्रस्त भूमि का वाद लंबन के दौरान संरक्षण करना होता है। अतः ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 25.11.2024 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र ओझा को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में आवेदन में वर्णित तथ्यों पर फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–3000/– रूपये वादीगण के द्वारा वहन किया जायेगा। वाद दिनांक 10.03.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	